# राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 169 अगस्त 2013 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित


## सम्पादकीय

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नियम कि दुष्कर्मी और यौन पीड़िता के बीच किसी भी प्रकार का समझौता होना उसके जेल जाने की सजा के दण्ड को कम करने का आधार नहीं हो सकता, अपने आप में अत्यंत ही उपयुक्त निर्णय है। दुष्कर्मी द्वारा यौन पीड़िता के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखना, कभी भी उसे माफ कर देने का आधार नहीं बन सकता और उसके द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकता भले ही पीड़िता ने आरोपी को क्षमा कर दिया हो।

माननीय न्यायालय ने कहा कि "बलात्कार करना एक अप्रशम्य (नॉन कम्पाउंडेबल) अपराध है और यह एक वैयक्तिक मामला न होकर बल्कि पूरे समुदाय के विरुद्ध है इसलिए इसे दो पक्षों के बीच समझौता और आपसी सुलहनामा करने तक छोड़ा नहीं जा सकता।" इसके अतिरिक्त इस प्रकार के मामलों में हमेशा यह आशंका रहती है कि दुष्कर्मी द्वारा पीड़िता पर उससे विवाह करने का दबाव डाला जाता है ताकि उसकी सजा को कम कर दिया जाये। इसी समय खाप पंचायतों द्वारा भी पीड़िता के माता-पिता पर बलात्कार के सामाजिक कलंक को निष्प्रभावित करने के लिये उन पर समझौता करने का दबाव डाला जाता है। इसकी एक वजह, दुष्कर्मी के परिवार द्वारा पीड़िता को वित्तीय मुआवजा देना और दुष्कर्मी पर लगाये गये आरोपों पर ज्यादा दबाव ना डालना भी हो सकता है।

## चर्चा में — दुष्कर्मी द्वारा विवाह करना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के दुष्कर्मियों द्वारा पीड़िता के साथ विवाह करने के प्रस्ताव रखने पर उसकी सजा को कम करने/साधारण सजा किये जाने पर गंभीर रुख अख्तियार किया है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि दिए गए दण्ड, मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुकूल और समानुपात होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, बहुत ही कम जोड़ों के मामलों में सुखद अंत होता है। अभी हाल ही में रांची में रहने वाली लड़की ने अपने साथ रहने वाले पति के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोपी से विवाह किया और एक महीने के अन्दर ही वह अपने मायके आकर उसने यह शिकायत की कि उसका पति और उसके मित्र शराब पीकर प्रतिदिन रात्रि में उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। कई बार तो विवाह के बाद लड़कियां या तो उनके पतियों द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं या घर से बाहर निकाल दी जाती हैं।

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, किसी आकस्मिक या साहसी मामले में कोर्ट द्वारा अपने विवेकानुसार दण्ड की मात्रा को यथा समय कम करना एक प्रशंसनीय बात है क्योंकि भारत वर्ष में 90% बलात्कार से संबंधित मामले अपराध मुक्ति के साथ ही बंद हो जाते हैं। इस निर्देश में सामुहिक दुष्कर्म के फलस्वरूप उत्तरजीवी/बचे रहने वालों की ओर से न्याय की गुहार करने के लिये काफी गुंजाइश है। इस प्रकार की पीड़िताओं के पुनर्वास के प्रश्न पर सभी राज्य सरकारों से प्रतिक्रिया मांगी गई/अपेक्षित की गई है।

**जुलाई 2013 के महीने में प्राप्त की गई शिकायतों की स्थिति**

| महीना | पिछला शेष | प्राप्त हुई शिकायतें | शिकायतों की संख्या जिस पर कार्यवाही की गई | शिकायतों के मामले बंद किये गये | कार्यवाही हेतु लंबित शिकायतें |
|---|---|---|---|---|---|
| जुलाई 2013 | शून्य | 1,377 | 1,377 | 405 | शून्य |

आयोग ने अगस्त 2013 के महीने में 17 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया।

## राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई जांच

- डॉ. चारु वलीखन्ना ने एक जांच समिति की अध्यक्षा के रूप में एक मीडिया की खबर जिसका शीर्षक था "ग्वालियर जेल में एक सहवासी द्वारा दो वर्ष की बच्ची की हत्या" के मामले में जांच की।
- डॉ. चारु वलीखन्ना ने एक जांच समिति की अध्यक्षा के रूप में एक मीडिया की खबर जिसका शीर्षक था "एक दूसरी महिला छात्रा पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आक्रमण किया गया" के मामले में जांच की।
- सदस्या शमीना शफीक ने अधिवक्ता श्री अभिषेक गुप्ता और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भार्गव के साथ पाली राजस्थान में एक लड़की के साथ किये गये सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित शिकायत की जांच की।

● राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक दो दिवसीय "कार्यस्थल को सकारात्मक नैतिक, और हृष्ट-पुष्ट कैसे बनायें" विषय पर कार्यशाला का उद्घाटन किया।

*अध्यक्षा ममता शर्मा कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए*

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन प्रताड़ना से संबंधित एक नये नियम के अंतर्गत महिलाओं को दिये गये अधिकारों की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जागरुकता पैदा करने के प्रयासों की भी प्रशंसा की। तत्पश्चात आयोग की सदस्या अधिवक्ता निर्मला सामंत प्रभावलकर ने अधिनियम से संबंधित कई कानूनी पहलुओं पर चर्चा की।

● अध्यक्षा, अल्पसंख्यक समुदाय के उच्च श्रेणी और प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थियों को पुरस्कार देने के लिये, मुम्बई में आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में विशेष सम्मानित अतिथि थी। श्री बबलू अजीज, अध्यक्ष, कोस अल्पसंख्यक विकास संस्थान (बीएमडीएफ) के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा

*बीएमडीएफ अध्यक्ष के साथ अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा*

कि यह बड़े दुख की बात है कि आज की दुनिया में कई लोग विशेष रूप से महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानतीं। यहां पर अत्यधिक रूप से जागरुकता में कमी है जिसके कारण सरकारी कानून, योजनाएं और नीतियों का कार्यान्वयन प्रभावित होता है। उन्होंने शैक्षणिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने वाले अल्प संख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों की प्रशंसा की।

● श्रीमती ममता शर्मा, रोटरी क्लब पद्मिनी, कोटा राजस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थीं।

● अध्यक्षा ने एक मुख्य अतिथि के रूप में उमा शर्मा और उसके ग्रुप द्वारा नई दिल्ली में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव का उद्घाटन किया।

● अध्यक्षा ने सखामित्र अश्विनी द्वारा लिखी गई पुस्तक 'अवेकनिंग वॉर्ट्स ... एक कोशिश' का विमोचन नई दिल्ली में किया। 'अवेकनिंग वॉर्ट्स' पुस्तक विश्व की उन महलाओं को समर्पित है जोकि प्रताड़ना और अपराधों की पीड़िता रही हैं। इस पुस्तक में मानव सभ्यता की सोच में बदलाव करने का प्रयास किया गया है।

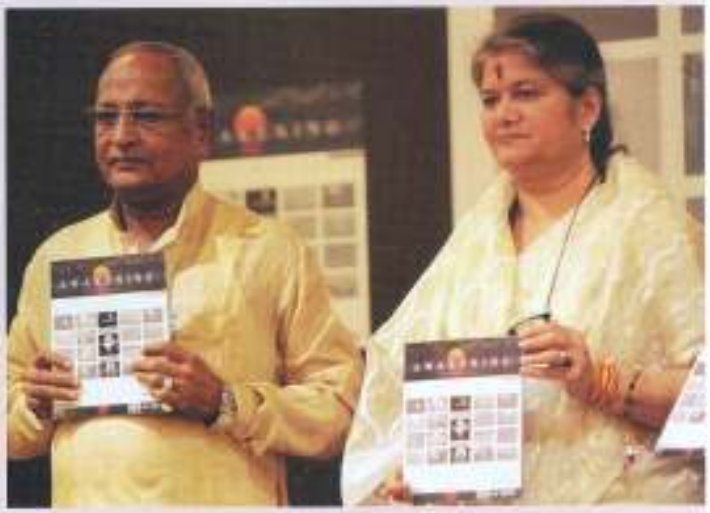

*टाइमलेस महात्मा ट्रस्ट के अध्यक्षा श्री ए.जी. खोकर और श्रीमती ममता शर्मा पुस्तक का विमोचन करते हुए।*

● अध्यक्षा महोदया ने एक पुस्तिका 'पॉलिसिंग एण्ड ह्यूमन राइट्स' का विमोचन किया जिसे गैर-सरकारी संगठन मानव अधिकार मिशन द्वारा तैयार किया गया है। यह संगठन मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. महेन्द्र शर्मा, राज्य और जिलों के अध्यक्ष और कई दूसरे अधिकारी भी उपस्थित थे।

*डॉ. महेन्द्र शर्मा, अध्यक्षा ममता शर्मा और श्रीमती शमीना शफीक पुस्तक का विमोचन करते हुए*

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारू वलीखन्ना ने ग्वालियर सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। जिसमें कुल 2322 सहवासी थे और जिसमें 87 महिलाएं थीं। उन्होंने बच्चों के लिये समर्पित बाल मित्र जगह की आवश्यकता को महसूस किया और उनके लिये शिक्षा और अतिरिक्त लाभप्रद गतिविधियों का सुझाव दिया। मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित महिलाओं के लिये स्वास्थ्य की देखरेख करने वाली सेवाओं को मुहैया कराना भी

*डॉ. चारू वलीखन्ना ग्वालियर सेंट्रल जेल में सहवासियों और उनके बच्चों के साथ*

आवश्यक था। ● डॉ. चारू वलीखन्ना 'लायंस क्लब' द्वारा आयोजित "महिला सशक्तिकरण" कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। ● वह ऑल इंडिया नेटवर्क और सेक्स वर्कस, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सलाह "प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटरी एण्ड राइट्स" विषय पर आयोजित कार्यक्रम में विशेष सम्मानित अतिथि थी। उन्होंने "लीगल रिफार्मस टू प्रिवेन्ट कांफ्लेशन ऑफ सेक्स वर्क एण्ड ट्रेफिकिंग" विषय के एक सत्र की अध्यक्षता की।

❖ सदस्या शमीना शफीक ने राजेश पायलट शिक्षा समिति (ग्रेटर नोएडा) उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्पन्न समारोह में भाग लिया। उन्होंने युवाओं की उभरती हुई प्रतिभाओं विशेष रूप से लड़कियों को मान्यता देने और तवज्जो देने के प्रयासों की प्रशंसा की। ● सदस्या ने जिला पलवल, हरियाणा में भारतीय मानव अधिकार फ्रंट द्वारा आयोजित 'बेटी बचाओ आंदोलन' की पदयात्रा का उद्घाटन किया। ● श्रीमती शमीना शफीक ने सिद्धिविनायक संस्था, वर्धा (महाराष्ट्र) द्वारा आयोजित 'युवा स्व-रोजगार

*श्रीमती शमीना शफीक पदयात्रा का उद्घाटन करते हुए*

(महिला)' एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में, वह महिला कैदियों की स्थिति का आकलन करने के लिए नागपुर जेल भी गई।

● सदस्या हेमलता खेरिया ने सामाजिक कार्यकर्ता मानसी प्रधान के साथ मिलकर, एक समाचार पत्र की खबर "अंधी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी" जिसके अन्दर यह भी खबर दी गई कि भुवनेश्वर के एक नेत्रहीन विद्यालय की तेरह वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार करेन के बाद उसे जान से मार दिया। मामले की आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है।

*श्रीमती हेमलता खेरिया, मानसी प्रधान के साथ जांच करती हुई*

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या, अधिवक्ता निर्मला सामंत प्रभावलकर ने अमृतसर में स्थित "महिलाओं के विरुद्ध अपराध" प्रकोष्ठ का दौरा किया। यह प्रकोष्ठ एक महिला पुलिस उपायुक्त के अधीन सक्रियता से कार्य करता

*निर्मला सामंत प्रभावलकर (बीच में) 'क्राइम अगेंस्ट वूमेन' प्रकोष्ठ के अधिकारियों के साथ*

हुआ पाया गया। अधिकतर शिकायतें घरेलू हिंसा, तलाक, रख-रखाव और बच्चों के अभिरक्षण से संबंधित थी। कुछ मामले बलात्कार और उत्पीड़न के भी रिपोर्ट किये जा रहे थे। ● मुम्बई में मजलिस संस्था द्वारा आयोजित 'निगोशिएटिंग स्पेस, फाइन ट्यूनिंग अवर डिमांडस ऑफ रेप लॉ' विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बलात्कार न केवल उस महिला को शारीरिक चोट पहुंचाता है बल्कि उस महिला की गरिमा और प्रतिष्ठा को भी, मानव अधिकारों के उल्लंघन के साथ प्रभावित करता है।

## शिकायत प्रकोष्ठ से

आयोग ने श्री X से, उसकी पुत्री की ओर से शिकायत प्राप्त की जिसके अंतर्गत उसने अपने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा की जा रही घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। इससे पूर्व शिकायतकर्ता और उसके पुत्र ने गांधीनगर पुलिस स्टेशन, दिल्ली जाकर इस आशय की मौखिक शिकायत दर्ज कराई कि वह पिछले 2-3 दिनों से अपनी पुत्री से सम्पर्क नहीं कर पा रहा है। तत्पश्चात एक पुलिस का सिपाही उनके साथ गया और ससुराल वालों ने जहां पर उसकी पुत्री को अपने घर में बंद करके रखा था, वहां से आजाद कराया।

*दहेज में मिली वस्तुओं की फोटो जिसे पीड़िता को वापस लौटाया गया*

मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी सुनवाई आयोग में की गई। शिकायतकर्ता की पुत्री ने आयोग से उसको दहेज में मिले सामान और स्त्रीधन को उसे वापस दिलाने का आग्रह किया क्योंकि वह अब आगे वैवाहिक संबंधों को बढ़ाना नहीं चाहती। आयोग के हस्तक्षेप करने पर मामले में दो सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वे आपसी सहमति से तलाक नामा दाखिल करेंगे। जिसके अन्तर्गत, दूसरा पक्ष मामले के अंतिम निस्तारण हेतु 4,90,000 रुपये की अदायगी करेगा व दहेज में मिली सभी वस्तुएं जैसे कपड़े, स्वर्ण आभूषण आदि सहित शिकायतकर्ता को आयोग की सदस्या शमीना शफीक की उपस्थिति में आयोग में वापस कर दिया।

## अप्रवासी भारतीयों द्वारा परित्याग की गई परिणीताओं की सूची

| राज्य | शिकायतों की संख्या |
|---|---|
| दिल्ली | 59 |
| उत्तर प्रदेश | 38 |
| आन्ध्र प्रदेश | 35 |
| पंजाब | 30 |
| हरियाणा | 29 |
| महाराष्ट्र | 23 |
| गुजरात | 19 |

वर्ष 2012-13 के दौरान, राष्ट्रीय महिला आयोग में, अपने अप्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्याग की गई महिलाओं द्वारा पंजीकृत की गई शिकायतें

## महत्वपूर्ण निर्णय

- अब आगे से, दक्षिण-पश्चिम जिले में वैवाहिक पंजीकरण कराने वाले जोड़ों को इस आशय की शपथ लेनी पड़ेगी कि वे कभी भी अपने होने वाले बच्चे के लिंग निर्धारण हेतु नहीं जायेंगे। यह शपथ पत्र, विवाह प्रमाण पत्र के साथ भी संलग्न किया जायेगा। जिला सलाहकार कमेटी ने महिलाओं में भ्रूण हत्या रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया कि सभी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण कराते समय अपने घर का पता तथा पहचान-पत्र को प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि सभी जन्मे हुए बच्चों के रिकार्ड को सही रखा जा सके।
- बाल विवाह पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम करने के लिये, जोकि राजस्थान राज्य में प्रचंडता से फैला हुआ है, राज्य सरकार ने इस आशय के निर्देश जारी किये हैं कि शादी के निमंत्रण कार्ड के ऊपर लड़के और लड़की की जन्म तिथि मुद्रित की हुई होनी चाहिए। यदि मुद्रणालय का मालिक यह पाता है कि लड़का या लड़की में से कोई भी कानूनी रूप से शादी करने की उम्र के लायक नहीं है तो वह मुद्रण आदेश को अस्वीकार कर देगा।

*अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in*

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।